

395.6/08-2/16.0

8 अ. 85/08

संख्या:आ/अ/15/43-2-2008-15/2

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

SC-23

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ ; दिनांक 14 जुलाई 2008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत लोक प्राधिकरणों (Public Authority) हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2-- भारत सरकार द्वारा लोक प्राधिकरणों (Public Authority) हेतु अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरण को मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

1 अ. 85/08

517108

लोक प्राधिकरणों (Public Authorities) के लिए मार्गदर्शिका

लोक पाधिकरण (Public Authority) ऐसी सचनाओं का भण्डार हात ह, जिन्ह सचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क तहत पाप्त करना नागरिका का अधिकार ह। अधिनियम क अनुसार 'लोक पाधिकरण' (Public Authority) का अथ एसा पाधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था ह, जा संविधान द्वारा या उसक अधीन बनाया गया ह; या संसद या किसी राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा बनाया गया ह; या कन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसचना या किए गए आदभ द्वारा स्थापित या गठित किया गया ह। कन्द सरकार या किसी राज्य सरकार क स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या आंतरिक रूप स वित्तपाशित निकाय आर कन्द सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा वित्तपाशित गर-सरकारी संगठन भी लोक पाधिकरण (Public Authority) की परिभाषा म आत ह। सरकार द्वारा किसी निकाय या गर-सरकारी संगठन का वित्तपाशण पत्यक्ष अथवा अपत्यक्ष हा सकता ह।

2. अधिनियम न लोक पाधिकरणों क लिए कछ महत्वपण दायित्व निधारित किए ह। लोक पाधिकरणों (Public Authorities) क नियंत्रणाधीन सचनाओं तक नागरिका की पहुंच का आसान बनान क उददभ्य स किसी लोक पाधिकरण क दायित्व वास्तव म पाधिकरण क मुखिया क दायित्व ह। लोक पाधिकरण (Public Authority) क मुखिया क द्वारा यह सनिभिषत करना अपक्षित ह कि इन दायित्वा का परी गम्भीरता स पालन हा। इस दस्तावज म लोक पाधिकरण का आभय वास्तव म लोक पाधिकरण क मुखिया स ही ह।

सूचना क्या है

3. किसी भी स्वरूप म काई भी सामगी "सचना" ह। इसम किसी भी इलकदानिक रूप म धारित अभिलख, दस्तावज, ज्ञापन, इ-मेल, मत, सलाह, पस विज्ञप्ति, परिपत्र, आद, लांगबक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमन, माडल, आंकडा सम्बन्धी सामगी भामिल ह। इसम किसी निजी निकाय स सम्बन्धित ऐसी सचना भी भामिल ह जिस लोक पाधिकरण तत्समय लाग किसी कानन क अन्तगत पाप्त कर सकता ह।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

4. किसी नागरिक का किसी लोक पाधिकरण स ऐसी सचना मांगन का अधिकार ह, जा उस लोक पाधिकरण (Public Authority) क पास उपलब्ध ह या उसक नियंत्रण

